



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236431
CG-DL-E-09062022-236431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]
No. 413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISTHA 19, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

सा.का.नि. 434(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 में, अनुसूची-III में, टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“टिप्पण:- अधिकारी की पदोन्नति अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वर्ष, जिसमें रिक्ति हुई है, की 1 जुलाई होगी।”

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 634 [अ] तारीख 6 अगस्त, 2003 के द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा पिछला संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 36 [अ] दिनांक 22 जनवरी, 2015 के द्वारा किया गया था।

[फा.सं. 14040/22/2014-यूटीएस-II]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2022

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service)(Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, in Schedule-III, NOTE shall be substituted, namely:-

“**Note:** The crucial date for determining the eligibility of an officer for promotion shall be the 1st July of the year in which the vacancy has occurred.”

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 634(E), dated the 6th August, 2003 and last amended *vide* notification number G.S.R. 36(E) dated the 22nd January, 2015.

[F. No. 14040/22/2014-UTS-II]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.